

डीएसआईआर द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों का
फार्म 3सीएम में अनुमोदन
के लिए दिशानिर्देश

तथा

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) के
अंतर्गत फार्म 3सीएल में रिपोर्ट प्रस्तुत करना

2016

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली

जुलाई, 2017 को अद्यतित

विवरण	विषय - वस्तु	पृष्ठ सं०
प्रस्तावना		3
अनुमोदन के लिए उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र वे शर्तें जिसके अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है		3
अनुमोदन के लिए नीति		4
फार्म 3सीएम में अनुमोदन हेतू आवेदन करने के लिए प्रक्रिया तथा फार्म 3सीएल में रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण		8
खण्ड-क		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) की विषय-सामग्री		10

डीएसआईआर द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र धारित कम्पनियों का फार्म 3सीएम में अनुमोदन तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) के अंतर्गत फार्म 3 सीएल में रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश

प्रस्तावना

1. उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास शुरुआतों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तथा अनुसंधान एवं विकास को एक आकर्षक प्रतिज्ञप्ति बनाने हेतु, वित्त विधेयक 1997 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 में एक उप-खण्ड (2कख) की शुरुआत की गई। इस उप - खण्ड की संशोधित पाठ्य-सामग्री को इन दिशा-निर्देशों के अनुबंध - 1 पर देखा जा सकता है। यह उप-खण्ड 'विहित प्राधिकारी' द्वारा, अनुमोदित, संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों पर कम्पनियों द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35 (2कख) द्वारा विशेषीकृत कुछ क्षेत्रों में (जो किसी भूमि अथवा भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए किसी व्यय के दो गुणा के समान योग की भारत कर कटौती उपलब्ध कराता है।

2. सचिव, डीएसआईआर को अप्रैल, 1998 के प्रथम दिवस से प्रभावी, भारत सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना एस.ओ 259(ई) दिनांक 27 मार्च, 1998 (पांचवें संशोधन नियम) के अनुसार शामिल किए गए, नियम 6(1ख) के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 35 (2कख) के प्रयोजनों के लिए 'विहित प्राधिकारी' के रूप में पदनामित किया गया है।

अनुमोदन के लिए योग्य कम्पनियां

3. संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र धारित कम्पनियां, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं, वे 'विहित प्राधिकारी' के अनुमोदन के लिए आवेदन करने की पात्र हैं:

- 1) कम्पनी का सुपरिभाषित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम हो; कम्पनी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की संवृद्धि के लिए उचित प्रलेखन करता हो;
- 2) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को डीएसआईआर द्वारा वैध मान्यता दी गई हो;
- 3) कम्पनी जैव प्रौद्योगिकी के विपणन अथवा गयारहवीं अनुसूची की सूची में दिए गए किसी सामान अथवा वस्तु के अलावा उत्पादन या निर्माण के विपणन में कार्यरत होनी चाहिए।
- 4) कम्पनी अनुसंधान एवं विकास व्ययों के लिए पृथक लेखों का रख-रखाव करती हो तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा के पश्चात पूंजीगत एवं आवर्ती व्ययों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती हो।
- 5) संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र पृथक उद्दिष्ट क्षेत्र/भवन में स्थित हो तथा वह अपनी एकीकृत अनुसंधान एवं विकास जन शक्ति रखता हो।

- 6) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र अनुबंध- IV में दिए गए आयकर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में उल्लिखित सामान अथवा वस्तु को छोड़कर किसी भी सामान अथवा वस्तु के उत्पादन के लिए अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत हैं।

शर्तें जिनके अनुसार अनुमोदन/अनुमोदनों का नवीकरण दिया गया है:

4. अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दिया जाता है:
- 1) कम्पनी के पास आवश्यक वैध परमिट/लाईसेंस होना चाहिए, यदि इनकी आवश्यकता इसके संचालनों के लिए सांविधिक प्राधिकारियों से तथा स्थल पर संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए होती है जहाँ अनुसंधान एवं विकास केन्द्र विद्यमान होता है तथा इसे समय-समय पर नवीकृत किया जाना चाहिए जैसा कि उक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षा की गई है।
 - 2) यदि कम्पनी ने आयकर अधिनियम की धारा 35 (2कख) के अंतर्गत एक संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र से अधिक के अनुमोदन के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन किया हो, तो ऐसे प्रत्येक केन्द्र को डीएसआईआर द्वारा वैध मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
 - 3) कम्पनी आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत धारा 35 (2कख) के अंतर्गत बड़े खाते डाले गए व्यय के संदर्भ में किसी प्रकार की कटौती का दावा नहीं करेगी।
 - 4) कम्पनी को विहित प्राधिकारी द्वारा धारा 35 (2कख) के अंतर्गत अनुमोदित प्रत्येक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के लिए पृथक लेखों के रख-रखाव के लिए तथा लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष आंकड़ों का विधिवत् लेखा परीक्षण प्राप्त करने के लिए फार्म सं0 3 सी के भाग ग के अनुसार आश्वासन भी प्रस्तुत करना चाहिए जैसाकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 के उप-खण्ड (2) में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार की लेखा परीक्षण की सुविधा के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु लेखों की पृथक पुस्तकों का रख-रखाव भी किया जाना चाहिए। साथ ही, सांविधिक लेखा-परीक्षकों को फार्म 3 सीएल में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सुविधा सहित दिशा-निर्देशों के खण्ड - ग के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित ब्यौरों में लेखा-परीक्षकों के प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
 - 5) कम्पनी को ऐसे अनुसंधान तथा विकास सुविधा में सहयोग तथा इस सुविधा हेतु अनुरक्षित लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए, फार्म 3 सी के भाग ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार 'विहित प्राधिकारी' (सचिव, डीएसआईआर) के साथ एक करार करना चाहिए।

टिप्पणी: सहयोग शब्द का, अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थ है कि प्रथम पक्ष राष्ट्रीय महत्व

की परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए इच्छुक होंगी, जो उन्हें स्वयं द्वारा, अथवा सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीआरडीओ, डीबीटी, एमसीआईटी, पर्यावरण मंत्रालय, डीओडी, डीईई, अंतरिक्ष विभाग, विश्व-विद्यालयों, महाविद्यालयों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक निधीयत संस्थानों के सहयोग से विहित प्राधिकारी द्वारा उन्हें सौंपी जाएंगी। प्रथम पक्ष ऐसी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों का संदोहण करने के लिए मुक्त होंगी, कोई भी विषय हो, किसी भी शर्त पर, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सार्वजनिक हित की दृष्टि में, भारत सरकार द्वारा थोपी जाएंगी।

कम्पनी को अपने पत्र शीर्ष पर वचन बद्धता प्रस्तुत करनी होगी:

- क) प्रत्येक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के लिए पृथक लेखों का रख-रखाव करने तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा उनकी विधिवत लेखा-परीक्षा प्राप्त करने के पश्चात वार्षिक रिपोर्ट में लेखों की अनुसूचियों/टिप्पणियों में व्ययों को प्रदर्शित करने के लिए।
- ख) कि वे आयकर अधिनियम की अनुसूची 11 में सूचीबद्ध किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करते।
- 6) प्रत्येक अनुमोदित केन्द्र के लिए पृथक रूप से प्रति वर्ष अनुरक्षित लेखा परीक्षित लेखों को दिशा-निर्देशों के अनुबंध-IV पर दी गई सूचना सहित, अनुवर्ती वर्ष के अक्टूबर माह के 31वें दिन को सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करने होंगे।
- 7) अधिग्रहित सम्पत्तियों तथा उत्पाद, जो कोई अनुमोदित सुविधा में किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यों में से उत्पन्न हुई हों, उन्हें सचिव, डीएसआईआर के अनुमोदन के बिना निपटाया नहीं जाएगा। सम्पत्ति विक्रय से उत्पन्न बिक्री वसूली को उस वर्ष के लिए जिसमें ऐसी बिक्री वसूली आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2कख) के अंतर्गत बढ़ती है, धारा 35 (2कख) के अंतर्गत दावे किए गए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के अनुसंधान एवं विकास व्यय के विरुद्ध प्रतिसंतुलित किया जाएगा। उप - खण्ड के अंतर्गत कटौती के लिए दावा किया गया व्यय उस सीमा तक घटा दिया जाएगा।
- 8) अनुसंधान एवं विकास सुविधा का सम्बन्ध केवलमात्र विपणन अनुसंधान, बिक्री संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, वाणिज्यिक उत्पादन, शैली परिवर्तन, नियमित ऑकड़ा संग्रहण अथवा इसी प्रकृति की गतिविधियों से नहीं होना चाहिए।
- 9) व्यय, जो केवल अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास सुविधा के साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञात हैं, वे ही भारत कर कटौती के लिए पात्र होंगे। तथापि, उपयोगिताओं पर अनुसंधान एवं विकास में व्यय, जिन्हें सामान्य स्रोत से उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सेवा क्षेत्र अथवा अनुसंधान एवं विकास से इतर प्रायोगिक संयंत्र सम्मिलित हैं, स्वीकार्य हो सकता है, बशर्ते कि उन्हें मापा गया हो तथा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किए जाने योग्य हो।
- 10) विभागों, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के अलावा, जैसे निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, उपस्कर कक्षा इत्यादि से जनशक्ति पर व्यय तथा परामर्शात्मक बैठकों में भाग लेने, ग्राहक की रुचि सुनिश्चित

- करने/विकासाधीन नए उत्पादों की प्रतिक्रिया तथा अन्य सम्पर्क कार्यों जैसे गैर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संलग्न जनशक्ति पर किए गए खर्च आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2कख) के अंतर्गत कटौती के पात्र नहीं होंगे।
- 11) अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय, जो भारत कर कटौती के लिए पात्र होगा, में केवल संयंत्र तथा उपस्कर अथवा अन्य कोई वास्तविक मद सम्मिलित होगी। अवास्तविक प्रकृति के पूंजीगत व्यय तथा अविरत पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में रिपोर्ट किए गए व्यय भारत कटौती के पात्र नहीं होंगे। कम्पनी को क्रय/अधिष्ठापन एवं मूल्य की तिथि सहित, पूंजीगत उपस्करों की सूची प्रस्तुत करनी होगी। संदर्भ एवं परीक्षण प्रयोजन के लिए क्रय किए गए वाहनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - 12) अनुमोदित संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों में प्रायोजित अनुसंधान के लिए कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान/तोहफें, दान, उपहार तथा भुगतान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) के प्रयोजन के लिए अनुसंधान एवं विकास लेखों के प्रति क्रेडिट के रूप में दर्शाना होगा तथा उप-खण्ड के अंतर्गत कटौती के लिए दावा किए गए अनुसंधान एवं विकास व्यय को उस सीमा तक घटाना होगा।
 - 13) सामान्य प्रकृति के व्यय, जैसेकि उत्पादन, रख रखाव तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभागों पर व्यय, निर्माण/गुणवत्ता नियंत्रण उपस्कर पर निर्माण अतिरिक्त खर्च/मूल्यहास/ब्याज/लीज किराया, निर्माण/सेवा विभागों में जन शक्ति व्यय, मुख्यालय व्यय, सुरक्षा, अतिथि गृह तथा कैंटीन पर व्यय तथा सामान्य प्रकृति के अन्य अतिरिक्त खर्च आयकर अधिनियम की धारा 35 (2कख) के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं होंगे। विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग संकाय में डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्च अर्हताधारी कार्मिकों को ही भारत कर कटौती के लिए पात्र अनुसंधान एवं विकास जन शक्ति के रूप में समझा जाएगा। प्रतिधारणवृत्ति/प्रशिक्षुकों/परामर्शदाताओं की श्रेणी के अधीन जनशक्ति तथा करार पर ली गई जनशक्ति (जिसमें रोजगार स्थिति पर आधारित प्रशिक्षु सम्मिलित हो सकते हैं) को भारत कर कटौती के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - 16) निदेशक बोर्ड के सदस्यों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, धारा 35 (2कख) के प्रयोजन के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
 - 17) अनुसंधान एवं विकास व्यय को प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के प्रयोजन से तैयार की गई लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों में आवश्यक रूप से रिपोर्ट किए जाने चाहिए अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्ट्रार के समक्ष भरे जाने चाहिए।
 - 18) भारत कर कटौती के लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधा का 'विहित प्राधिकारी' द्वारा अनुमोदन आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
 - 19) कम्पनी की कोई भी वाणिज्यिक तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधि कानून अथवा लागू नियमों rFkk ofuf तथा विनियमों द्वारा अनुमत्त क्षेत्रों में होनी चाहिए तथा नियामक प्राधिकारियों से उचित अनुमोदनों के तहत आरम्भ की जानी चाहिए, जहाँ अनुमोदनों की आवश्यकता हो।

5. **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) के अंतर्गत फार्म 3सीएम में अनुमोदन के लिए नीति**
- i. डीएसआईआर द्वारा वैध मान्यताप्राप्त धारी संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को अनुमोदन पर वर्ष की प्रथम अप्रैल से विचार किया जाता है जिसमें फार्म 3सीके में आवेदन किया जाता है।
 - ii. अनुमोदन को डीएसआईआर मान्यता के साथ जुड़ा समझा जाए।
 - iii. वे कम्पनियां जो डीएसआईआर मान्यता प्राप्त संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र धारी नहीं हैं, अनुमोदन मान्यता की प्राप्त करने की तिथि से माना जाएगा।
 - iv. ऐसी फर्मों के मामले में जो डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित एक या अधिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के लिए विहित प्राधिकारी सहित धारा 35(2कख) के अंतर्गत सहयोग के हस्ताक्षरित समझौताधारी हैं, जिसका अर्थ है कि उनके द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए पृथक लेखों का रख-रखाव किया जा रहा है:- ऐसी फर्मों द्वारा स्थापित नए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र उस वर्ष से अनुमोदित किए जा सकते हैं जिसमें मान्यता प्रदान की गई है बशर्ते कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के अंत से पूर्व फार्म 3सीके प्रस्तुत कर दिया हो, ताकि ये कम्पनियां नए केन्द्रों पर पूंजीगत तथा राजस्व प्रकृति के लिए पात्र अनुसंधान एवं विकास व्यय पर भारित कर कटौती का दावा करने के लिए समर्थ हो सकें।
 - v. ऐसी फर्मों के मामले में, जिनके पास डीएसआईआर द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र नहीं हैं, परन्तु जिन्होंने संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का धारा 35(2कख) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन किया है, जिसके अनुसंधान एवं विकास पर उन्होंने एक करोड़ रूपए से अधिक का पूंजीगत निवेश किया हो, भूमि तथा भवन पर व्यय के अलावा, वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें फर्म ने अनुमोदन के लिए विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया - अनुसंधान एवं विकास सुविधा पर पूंजीगत व्यय जिसके लिए अनुमोदन का अनुरोध किया गया (भूमि तथा भवन पर पूंजीगत व्यय के अलावा), उक्त पूर्ववर्ती वर्ष के शुरू में किया गया, बशर्ते कम्पनी संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए अपनी आयकर विवरणी में ऐसे पूंजीगत व्यय का दावा करती है, तथा बशर्ते वह केन्द्र डीएसआईआर द्वारा तदनुसार मान्यताप्राप्त था।
 - vi. ऐसी फर्मों के मामले में, जिनके अनुसंधान एवं विकास केन्द्र पहले से ही डीएसआईआर द्वारा मान्यताप्राप्त हैं तथा जिन्होंने धारा 35(2कख) के अंतर्गत संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के अनुमोदन के लिए आवेदन किया हो तथा जिन्होंने अनुसंधान एवं विकास पर एक करोड़ रूपए से अधिक का पूंजीगत निवेश किया हो, भूमि तथा भवन पर पूंजीगत व्यय के अलावा, वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में ऐसे केन्द्र पर जिसमें फर्म ने अनुमोदन के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन किया हो - उक्त पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए ऐसे पूंजीगत व्यय कम्पनी को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए उनकी आयकर विवरणी में ऐसे पूंजीगत व्यय के दावे उपलब्ध कराती है तथा अनुमोदन की अन्य शर्तें एवं भारित कटौती के लिए योग्यता पूरी करती है।
 - vii. उक्त पैरा v तथा vi में वर्णित पूंजीगत व्यय पर लाभ का दावा करने के लिए, कम्पनी को निम्नलिखित गतिविधि करनी चाहिए:-

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2कख) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए फार्म 3सीके में आवेदन करने के समय पर अग्रगण्य पत्र में ऐसे व्यय के दावे के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें फर्म ने अनुमोदन के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन किया हो, भूमि तथा भवन पर व्यय के अलावा एक करोड़ रूपए से अधिक के अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत उपस्कर निवेश के ब्यौरे एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना चाहिए।

फार्म 3सीएम में अनुमोदन के लिए आवेदन करने तथा फार्म 3सीएल में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया

6. आवेदन पत्र (फार्म 3सीके) को ऑन-लाईन प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है तथा उसकी विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रति को निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:

सचिव, डीएसआईआर
द्वारा अध्यक्ष, राजकोषीय प्रोत्साहन
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेक्नोलॉजी भवन,
नया मेहरौली मार्ग,
नई दिल्ली-110016

टिप्पणी: आवेदन पत्र को बाएँ कोने पर टैग किया जाना चाहिए तथा इसे स्पाईरल बाईंड नहीं किया जाना चाहिए।

7. फार्म 3सीएम (एकल सैट) में आरम्भिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज:-
- i. प्रबन्ध निदेशक तथा साक्षी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित डीएसआईआर द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का पता देते हुए आयकर निर्धारित फार्म 3सीके में आवेदन पत्र।
 - ii. प्रत्येक संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के लिए डीएसआईआर मान्यता पत्र की प्रति।
 - iii. अनुसंधान एवं विकास के स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य जो 6 लाईनों से अधिक न हो।
 - iv. वार्षिक रिपोर्ट सहित नवीनतम लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।
 - v. दिशा-निर्देशों के अनुबंध-1 (पृष्ठ 17) के अनुसार अतिरिक्त सूचना।

- vi. मूल कम्पनियों के लिए अनुबंध-III के अनुसार अतिरिक्त सूचना।
 - vii. डीएसआईआर द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/केन्द्रों पर अलग-अलग की गई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का स्पष्ट सारांश देते हुए एक पृष्ठ का ब्यौरा।
 - viii. यह पुष्टि कि आयकर अधिनियम की अनुसूची 11 में सूचीबद्ध किसी उत्पाद का निर्माण नहीं करती।
 - ix. संस्थागत अनुसंधान सुविधा की कुल पूंजीगत लागत, अंतिम पूर्ण वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक उपस्कर, भूमि एवं भवन के मूल्य सहित पूर्ण अनुसंधान सुविधा के व्यय का ब्यौरा देते हुए।
 - ix. एक वचनबद्धता कि कम्पनी प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ आयकर विवरणियों के प्रयोजन के लिए तैयार किए गए कम्पनी के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण में लेखों की अनुसूचियों/टिप्पणियों में अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत तथा राजस्व व्यय दर्शाएगी।
 - Xi. एक प्रतिबद्धता कि कम्पनी आयकर विवरणियां भरते समय अनुमोदित अवधि के लिए प्रति वर्ष डीएसआईआर दिशा-निर्देशों (पृष्ठ 25 से 32) के अनुबंध-I एवं अनुबंध II (खण्ड-ग) के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगी।
8. फार्म 3सीएस(1 सैट) में अनुमोदन के विस्तार के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज:-
- i. प्रबन्ध निदेशक तथा साक्षी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित डीएसआईआर द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक संस्थागत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का पता देते हुए आयकर निर्धारित फार्म 3सीके।
 - ii. डीएसआईआर द्वारा जारी मान्यता/मान्यता के नवीकरण की प्रति।
9. फार्म 3सीएल (1 सैट) में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए अनुमोदित अवधि के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के 31 अक्टूबर द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज :
- i. डीएसआईआर दिशा-निर्देशों के खण्ड सी के अनुसार पूर्ण ब्यौरें।

धारा - 35, आय-कर अधिनियम, 1961-2016

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

⁵³[(2कख) (1) जहां ⁵⁴[जैव-प्रौद्योगिकी के कारबार में या] ⁵⁵[किसी ऐसी वस्तु या चीज के, जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिद्रिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन के किसी कारबार में] लगी कंपनी वैज्ञानिक अनुसंधान पर (किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति में व्यय से भिन्न) या इनहाउस अनुसंधान पर और विहित प्राधिकारी⁵⁶ द्वारा अनुमोदित विकास सुविधा पर व्यय करेगी वहां इस प्रकार खर्च की राशि ⁵⁷[व्यय के ^{57क}[^{57ख}[दो गुणा] के बराबर राशि] की कटौती की जाएगी।

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.4.2018 से धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (1) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा:

परंतु जहां वैज्ञानिक अनुसंधान (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) या आंतरिक अनुसंधान या विकास सुविधा पर कोई व्यय 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उपगत किया जाता है, वहां इस खंड के अधीन कटौती इस प्रकार उपगत व्यय के बराबर होगी।

⁵⁸[स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, औषधि और भेषज के संबंध में "वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय" के अंतर्गत क्लीनिक संबंधी औषधि परीक्षण, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन किसी विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने और पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन किसी पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन फाइल करने में उपगत व्यय भी है।]

(2) खंड (1) में वर्णित व्यय की बाबत कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(3) कोई भी कंपनी खंड (1) के अधीन कटौती के लिए हकदार नहीं होगी जब तक कि वह ऐसे अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए ^{58क}[विहित अधिकारी के साथ करार न करें और लेखाओं तथा उसकी संपरीक्षा रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसी शर्तों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूरा न करें]।

(4) विहित प्राधिकारी उक्त सुविधा के अनुमोदन के संबंध में ^{58कक}[प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या] ^{58ख}[प्रधान महानिदेशक या] महानिदेशक को ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।]

⁵⁹[⁶⁰[(5) खंड(1) में निर्दिष्ट व्यय की बाबत जो 31 मार्च, ^{60क}[2017] के पश्चात् किया जाए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।]]

⁶¹[(6) उपधारा (1) के खंड (ii) के उपखंड (इ) के अधीन अनुमोदित किसी कंपनी को खंड (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यय की बाबत, जो 31 मार्च, 2008 के पश्चात् किया जाए, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।]

⁶²[(2ख) (क) जहां निर्धारिती ने ⁶³[1 मार्च, 1984 से पूर्व] ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन हाथ में लिया गया हो, कोई व्यय (जो किसी भूमि या भवन या किसी भवन के निर्माण पर पूंजीगत व्यय की प्रकृति का नहीं है) उपगत किया है वहां इस उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस विहित प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान उपगत व्यय के रूप में प्रमाणित व्यय की रकम के 1¼ के बराबर राशि कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) जहां किसी व्यय की बाबत खण्ड (क) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे व्यय की बाबत उसी पूर्ववर्ष के लिए या किसी अन्य पूर्ववर्ष के लिए उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन या उपधारा (2) के खण्ड (i) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ग) जहां किसी ऐसे व्यय की बाबत, जो सम्पूर्णतः या भागतः आस्ति के रूप में है, इस उपधारा के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां उस आस्ति की बाबत उसी पूर्ववर्ष के लिए या किसी पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के लिए धारा 32 की ⁶⁴[उपधारा (1) के खंड (ii)] के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(घ) इस उपधारा के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वास्तव में उपगत व्यय के आधिक्य में की गई कटौती के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गलत तौर पर की गई है यदि निर्धारिती कार्यक्रम के पूरा होने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात अवधि के एक वर्ष के भीतर उस प्राधिकारी से उसके पूरा होने का प्रमाणपत्र नहीं देता है और धारा 155 की उपधारा (5ख) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।]

⁶⁵[(3) यदि इस धारा के अधीन कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई क्रियाकलाप वैज्ञानिक अनुसंधान है या था और यदि है या था तो किस सीमा तक अथवा कोई आस्ति, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग में लाई जा रही है या लाई जा रही थी, तो बोर्ड उस प्रश्न को-

(क) केंद्रीय सरकार को भेजेगा जब ऐसा प्रश्न उपधारा (1) के खंड (ii) और (iii) के अधीन किसी क्रियाकलाप के संबंध में है, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा;

(ख) विहित प्राधिकारी⁶⁶ को निर्दिष्ट करेगा जब ऐसा प्रश्न खंड (क) के क्रियाकलाप से भिन्न किसी क्रियाकलाप के संबंध में है, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।]

(4) धारा 32 की उपधारा (2) के उपबंध, उपधारा (1) के खण्ड (iv) के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अवक्षयण के संबंध में अनुज्ञेय कटौतियों को लागू होते हैं।

⁶⁷[(5) जहां समामेलन की किसी स्कीम में, समामेलन कम्पनी किसी ऐसी आस्ति को जो पूंजीगत या वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति की है, समामेलित कम्पनी को (जो एक भारतीय कम्पनी है) विक्रय या अन्यथा अन्तरण करती है, वहां,—

(i) समामेलन कम्पनी को उपधारा (2) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

(ii) इस धारा के उपबंध समामेलित कंपनी को यावत्शक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलन कंपनी को लागू होते यदि पश्चात्कथित ने उस आस्ति का वैसा विक्रय या अन्तरण न किया होता।]]

8. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से उपान्तरण सहित पुनः पुरःस्थापित। इससे पूर्व धारा 35 का प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा उसी तारीख से लोप किया गया था।

9. परिपत्र सं. 778, तारीख 20.8.1999 और प्रेस नोट, तारीख 5.6.1982, जो वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा जारी किया गया था, भी देखिये।

सुसंगत केस लॉज़ देखिए।

10. प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1974 से अंतःस्थापित।

11. धारा 40क(5) का अब लोप कर दिया गया है।

12. नियम 6(1) देखिए। नियम 6(1) के अधीन विहित प्राधिकारी हैं : सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार की सम्मति से महानिदेशक (आय-कर छूट)।

13. वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.4.2011 से "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

14. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से "संदत्त कोई राशि" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

14क. वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.4.2011 से "एक सही एक बटा चार" अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

14ख. वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.4.2018 से "एक सही तीन बटा चार" के स्थान पर "एक सही एक बटा दो" शब्द रखे जाएंगे।

15. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से तथा प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से संशोधित परन्तुक इस प्रकार था :

"परन्तु यह तब जबकि ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है;"

16. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आवेदन के फार्म के लिए नियम 6(2) और प्ररूप सं. 3गच देखिए।

16क. वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा 1.4.2009 से अंतःस्थापित।

16ख. वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.4.2018 से "संदत्त किसी ऐसी राशि के एक सही एक बटा चार गुणा के बराबर राशि" शब्द लोप किये जाएंगे।

17. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1991 द्वारा 1.4.1992 से अंतःस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खंड (iii) प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से यथासंशोधित किया गया था।

18. नियम 5ग, 5घ और 5ङ तथा प्ररूप सं. 3गच-I और 3गच-II भी देखिए।

18क. वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.4.2011 से "किसी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

19. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से "संदत्त कोई राशि" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

20. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित।
प्रतिस्थापन से पूर्व वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से संशोधित परन्तुक इस प्रकार था :

"परन्तु यह तब जबकि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस खंड के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है;"

20क. वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.4.2011 से "ऐसा विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

20ख. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आवेदन के फार्म के लिए नियम 6(2) और प्ररूप सं. 3गच देखिए।

21. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित।

21क. वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.4.2011 से "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

21ख. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से अंतःस्थापित।

22. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से "विहित प्राधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

22क. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से "प्राधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

23. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित।

24. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से खंड (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

25. "किसी पूर्ववर्ष में उपगत" पद के अर्थ के लिए सम्बंधित केस लाज़ देखिए।

26. वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1984 से अंतःस्थापित।

27. यथोक्त द्वारा वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।

28. यथोक्त द्वारा अंतःस्थापित।

- [29.](#) संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53क के पाठ के लिए, *देखिए परिशिष्ट*।
- [30.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967, द्वारा 1.4.1968 से अंतःस्थापित।
- [31.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1962 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित।
- [32.](#) कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1988 से "उपधारा (1) के खंड (i), (ii), (iiक), (iii) और (iv) तथा उपधारा (1क)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- [33.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से अंतःस्थापित।
- [34.](#) कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1988 से "उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- [35.](#) प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1974 से अंतःस्थापित।
- [36.](#) वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुमोदन और अनुमोदित कार्यक्रमों की सूची के लिए सम्बंधित सरकुलर्स *देखिए*
- [37.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.9.1980 से अंतःस्थापित।
- [38.](#) देखिये नियम 6(1)।
- [39.](#) वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1984 से अंतःस्थापित।
- [40.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से अंतःस्थापित।
- [41.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.9.1980 से अन्तःस्थापित।
- [42.](#) वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.4.1994 से अंतःस्थापित।
- [43.](#) नियम 6(3), 6(5), 6(6) और 6(7) तथा प्ररूप सं. 3गछ से 3गज *देखिए* नियम 6 में दी गई प्रक्रिया अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है :

* विहित प्राधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या आई.आई.टी. हैं।

* अनुमोदन के लिए आवेदन प्रायोजक द्वारा प्ररूप सं. 3गछ में करना होगा।

* राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या आई.आई.टी., प्ररूप सं. 3गझ में वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्यक्रम के लिए संदाय की रसीद देगा।

* विहित प्राधिकारी तभी अनुमोदन देगा, जब नियम 6 के उपनियम (7) में वर्णित शर्तें पूरी हो जाएं।

44. वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा 1.4.1995 से अंतःस्थापित।

45. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से "विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

46. देखिये नियम 6(1)।

46क. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा 1.4.2012 से "एक सही तीन बटा चार गुणा" अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.4.2011 से "एक सही एक बटा चार गुणा" के स्थान पर "एक सही तीन बटा चार" प्रतिस्थापित किया गया था।

46ख. वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.4.2018 से "दुगुना" के स्थान पर "एक सही एक बटा दो गुणा" शब्द रखे जाएंगे।

47. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.10.1996 से निम्नलिखित परन्तुकों के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, उक्त परन्तुक, वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा 1.4.1995 से यथा संशोधित; इस प्रकार थे :

"परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विहित प्ररूप और रीति में विहित प्राधिकारी को आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी, अनुमोदन देने से पूर्व, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से ऐसी दस्तावेज और सूचना मंगवा सकेगा जैसी वह ऐसी प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या संस्थान जो भी हो के वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक समझे।"

47क. वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा 1.4.2016 से इटैलिक में दिए गए शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

47ख. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.6.2013 से अंतःस्थापित।

[48.](#) नियम 6(7)(ख) और प्ररूप सं. 3गज देखियो

[49.](#) कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित।

[50.](#) वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा 1.4.1995 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.4.1994 से यथा अंतःस्थापित, स्पष्टीकरण इस प्रकार था :

'स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "राष्ट्रीय प्रयोगशाला" से ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला अभिप्रेत है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हो और जो विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए, राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में अनुमोदित हो।'

[50क.](#) कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से भूतलक्षी प्रभाव से स्पष्टीकरण 2 को पुनः संख्यांकित किया गया।

[51.](#) 'संस्थान' की परिभाषा के लिए देखिये पूर्व पृष्ठ 1.79 पर पाद-टिप्पण 69.

[52.](#) वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से अंतःस्थापित।

[53.](#) वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.4.1998 से अंतःस्थापित। नियम 6(1ख), (4), (5क) और (7क) तथा प्ररूप सं. 3गट से 3गड देखियो

[54.](#) वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से अंतःस्थापित।

[55.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा 1.4.2010 से "किन्हीं औषधियों, भेषज, इलैक्ट्रानिक उपकरणों, कम्प्यूटरों, दूरसंचार उपकरणों, रसायनों या बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[56.](#) विहित प्राधिकारी, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार है।

[57.](#) वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से "व्यय के 1¼ गुणा के बराबर राशि" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[57क.](#) वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा 1.4.2011 से "डेढ़" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[57ख.](#) वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.4.2018 से "दो गुणा" के स्थान पर "एक सही एक बटा दो गुणा" शब्द रखे जाएंगे।

[58.](#) वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से अंतःस्थापित।

[58क.](#) वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा 1.4.2016 से "और उस सुविधा के लिए रखे गए लेखाओं की संपरीक्षा के लिए विहित अधिकारी के साथ करार न करें" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[58कक.](#) वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा 1.4.2016 से इटैलिक में दिए गए शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[58ख.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.6.2013 से अंतःस्थापित।

[59.](#) वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 1.4.2018 से धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (5) का लोप किया जाएगा।

[60.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1998 से भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित।

[60क.](#) वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से "2012" अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित इससे पूर्व 2007 के स्थान पर वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा 1.4.2008 से "2012" वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 1.4.2006 से "2005" के स्थान पर "2007", वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से "2000" अंकों के स्थान पर "2005" अंक रखे गए थे।

[61.](#) वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा 1.4.2009 से अंतःस्थापित।

[62.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.9.1980 से अंतःस्थापित।

[63.](#) वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1984 से अंतःस्थापित।

[64.](#) कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1988 से "उपधारा (1) के खंड (i), (ii), (iiक) और (iii) या उपधारा (1क)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[65.](#) वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, उपधारा (3) इस प्रकार थी:

"(3) यदि इस धारा के अधीन इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई क्रियाकलाप वैज्ञानिक अनुसंधान है या था और यदि था तो किस सीमा तक या कोई आस्ति उसके लिए प्रयुक्त की जा रही है या थी, तो बोर्ड यह प्रश्न विहित प्राधिकारी के पास भेजेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।"

[66.](#) नियम 6 देखिए.

[67.](#) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से अंतःस्थापित।